सहकार मित्र

Sahakar Mitra

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली
NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION NEW DELHI
सहयोग

NCDC
Assisting Cooperatives. Always!

www.ncdc.in

“सहकार मित्र” दिशानिर्देश: रा.स.वि.नि. की प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) कार्यक्रम (एस.आई.पी.)।

पृष्ठभूमि

1.1 निगम ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों हेतु रा.स.वि.नि. के कामकाज के आतंरिक एवं विशेष क्षेत्रों में संबंधित काम सीखने का अनुभव प्रदान करने और सहकारिताओं के विकास में रा.स.वि.नि. के योगदान एवं उपलब्धियों की परियोजनाओं के उद्देश्य से वर्ष 2012-13 में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों से उन राज्यों में मौजूद ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम’ के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं, जहां विद्यार्थियों को एस.आई.पी. के माध्यम से (अध्ययनरत दूसरा वर्ष एम.बी.ए-एग्रो-व्यवसाय) विभिन्न राज्यों को सम्मिलित करने हेतु योजना का विस्तार किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में प्रशिक्षु (इंटर्न) ने सहकारी क्षेत्र पर बहुमूल्य ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है।

1.2 भारत सरकार द्वारा युवाओं को कुशल बनाने एवं रा.स.वि.नि. के विकास पथ को परिवर्तित परिदृश्य के आलोक में ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) कार्यक्रम को आवश्यक संशोधनों के आधार पर अधिक व्यापक बनाया गया है।

परिचय

2.1 "प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) कार्यक्रम पर सहकार मित्र योजना" एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ रा.स.वि.नि. युवा व्यावसायिकों को अल्पकालिक (चार महीने से अधिक नहीं) अवसर प्रदान करेगी और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने हेतु संगठनात्मक संदर्भ में कौशल तथा ज्ञान प्राप्त करने हेतु सीखने का अनुभव प्राप्त करेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यावसायिक स्नातकों को

रा.स.वि.नि. और संबंधित पहलुओं के कामकाज के क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है।

उद्देश्य

3.1 रा.स.वि.नि. एवं सहकारिताओं की भूमिका, योगदान और प्रभाव पर व्यावसायिक स्नातकों को गहन आकर्षक अवसर प्रदान करना है।

3.2 व्यावसायिक/ पेशेवर स्नातकों को सक्षम बनाने हेतु रा.स.वि.नि. एवं सहकारिताओं के संदर्भ और व्यावहारिक कामकाज को जानना है।

3.3 स्टार्ट-अप एवं सहकारिताओं में स्वयं को सम्मिलित करने हेतु व्यावसायिक व्यवसाय मॉडल के लिए पेशेवर स्नातकों को उन्मुख करना है।

3.4 सहकारी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत आयोजित एफ.पी.ओ. में नेतृत्व करने एवं/ अथवा उद्यमियों की भूमिकाओं को निभाने में व्यवसायिक/ पेशेवर स्नातकों को सक्षम बनाने में है।

3.5 व्यावसायिक योजनाओं एवं परियोजनाओं को तैयार करने में जरूरतमंद सहकारिताओं को सहायता प्रदान करना है ।

पात्रता

4.1 निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता प्राप्त किसी भी व्यक्ति की पात्रता पर विचार किया जायेगा।

क. यू.जी.सी./ ए.आई.सी.टी.ई/ आई.सी.ए.आर. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान के विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुशंसित कृषि/ दुग्ध/ पशुपालन/ पशुचिकित्सा/ विज्ञान/ मत्स्यपालन/ बागवानी/ वस्त्र /हथकरघा /आई.टी (सूचना प्रौद्योगिकी) में स्नातक की डिग्री के रूप में न्यनतम योग्यता वाले व्यावसायिक स्नातकों पर लागू।

ख. यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई/आई.सी.ए.आर. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान के विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुशंसित

एम.बी.ए. एग्रीबिजनेस/ एम.बी.ए सहकारिता/ एम.कॉम (वाणिज्य स्नातकोत्तर)/ एम.सी.ए/ एम.बी.ए. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट/ इंटर आई.सी.ए.आई/ इंटर आई.सी.डब्ल्यू.ए की व्यावसायिक (अध्ययनरत या पूर्ण कर चुके) डिग्री धारकों पर लागू।

प्रशिक्षु (इंटर्न) की संख्या एवं स्थान

5.1 रा.स.वि.नि. की आवश्यकतानुसार, मुख्यालय, लिनाक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ष भर में समस्त रा.स.वि.नि. में किसी भी समय प्रशिक्षु (इंटर्न) साठ से अधिक नहीं होना है। एक क्षेत्रीय कार्यालय में एक समय पर अधिकतम दो प्रशिक्षु (इंटर्न) हो सकते हैं। किसी विशेष संस्थान से अनुशंसित प्रशिक्षु (इंटर्न) भी एक वर्ष में दो से अधिक नहीं होंगे ।

चयन की प्रक्रिया

6.1 प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) की अवधि किसी व्यक्ति हेतु चार महीने से अधिक नहीं होगी। एक व्यक्ति को एक से अधिक बार इंटर्न के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

6.2 यू.जी.सी./ ए.आ.ई.सी.टी.ई./ आ.ई.सी.ए.आर. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान के विभागाध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, रा.स.वि.नि. या मुख्य निदेशक, लिनाक या मुख्यालय रा.स.वि.नि. में एच.आर प्रभाग के प्रमुख को अनुशंसित किया जा सकता है, जैसे लागू हो। केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगें। इसके लिए उपलब्ध पोर्टल है http://sip.ncdc.in/

6.3 प्रयोजक संस्थान की सिफारिशों एवं बायोडाटा के आधार पर संभावित प्रशिक्षु (इंटर्न) को समितियों द्वारा सूचीबद्ध (शॉर्टलिस्ट) किया जाएगा, जैसा कि प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

6.4 प्रशिक्षु (इंटर्न) का चयन रा.स.वि.नि. द्वारा प्रशिक्षु (इंटर्न) की आवश्यकता एवं वरीयता के आधार पर मुख्यालय या लिनाक या क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा किया जाएगा।

6.5 प्रशिक्षु (इंटर्न) का मार्गदर्शन/ पर्यवेक्षण, विशेष रूप से सौंपा गया कार्य (असाइनमेंट) एवं अन्य एस.आई.पी. संबंधित गतिविधियों की निगरानी परामर्शदाता (**Mentor**) के रूप में नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

6.6 क्षेत्रीय निदेशालय, के प्रशिक्षु (इंटर्न) के मामले में, उससे सहकारिताओं पर ध्यानकेंद्रित करने एवं सहकारिता के व्यवसाय के विस्तार पर एक व्यवसाय योजना/ परियोजना संबंधित रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित होगा। प्रशिक्षु (इंटर्न) अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के दो सप्ताह के अंतर्गत एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पूर्ण किए गए कार्य का विस्तृत विवरण सहित प्राप्त अनुभव एवं भविष्य में वे इसका कैसे उपयोग करेंगे, इस पर प्रकाश डाला जाएगा।

6.7 प्रशिक्षु (इंटर्न) द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय योजना/ परियोजना रिपोर्ट/ विस्तृत रिपोर्ट रा.स.वि.नि. की संपत्ति होगी एवं प्रशिक्षु (इंटर्न) का किसी भी तरह से इसके उपयोग पर कोई दावा नहीं होगा।

6.8 प्रशिक्षु (इंटर्न) द्वारा प्राप्त अध्ययन, शोध एवं विश्लेषण सामग्रियों का प्रकाशन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

6.9 प्रशिक्षु (इंटर्न) द्वारा या एस.आई.पी. के दौरान उनके द्वारा किए गए क्रियान्वयन पर, कार्रवाई या निष्क्रियता के कारण या व्यवसाय योजना/ परियोजना रिपोर्ट/ प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट, पर रा.स.वि.नि. की कोई देयता नहीं होगी, जो भी हो।

रा.स.वि.नि. द्वारा वित्तीय सहायता

7.1 प्रशिक्षु (इंटर्न) को एस.आई.पी. (4 महीने के लिए) के दौरान निम्नलिखित वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा :-

आंशिक रूप से उनके जेब खर्चों को पूरा करने हेतु 4 महीने के लिए मासिक राशि रु. 10,000/-	रु. 40,000
रिपोर्ट तैयारी से संबंधित व्यय (डेटा-संग्रह, विश्लेषण एवं रिपोर्ट की तैयारी हेतु एकमुश्त राशि)	रु. 5,000
योग	रु. 45,000

रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

8.1 प्रशिक्षु (इंटर्न) एस.आई.पी. कार्यक्रम के हिस्से के रूप में टाइप की हुई स्पष्ट रिपोर्ट की 5 बाइडिंग प्रतियां सहित सॉफ्ट कॉपी रा.स.वि.नि. को प्रस्तुत करेंगे। इंटर्नशिप के सफल समापन पर पिछले महीने की समेकित राशि रु. 10,000/- का भुगतान किया जाएगा, जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण इत्यादि भी सम्मिलित हैं।

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION
An ISO 9001:2015 Certified Organisation
A Statutory Corporation under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016
Tel:+91-11-26962478,26960796
Fax: +91-11-26962370,26576032
Website: www.ncdc.in